अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

27 03.12.2022	**न्यायालय उपायुक्त, राँची** विविध अपील वाद सं० 38 आर० 15/2019–20 कंचन कुमारी पति मनोज कुमार निवासी रोड सं 6, बिरसा चौक, चाईबासा रोड थाना जगरनाथपुर, जिला राँची .... अपीलकर्त्ता बनाम 1. राज्य 2. रिप्लीका इस्टेट प्रा० लि० .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता कंचन कुमारी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची द्वारा विविध वाद (जमाबंदी रद्द) सं० 08/2018–19/टी०आर० सं० 66/2018–19 मे दिनांक 06.09.2019 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची ने अंचल अधिकारी, अरगोड़ा राँची के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में दाखिल–खारिज वाद सं0–3292 आर० 27/12–13 के आधार पर मौजा– हिनु खाता सं०–122, प्लॉट सं0–1602, रकबा 12 कट्ठा भूमि की जमाबन्दी जो रिप्लीका प्रा० लि० निदेश अशोक कुमार सिन्हा के नाम से कायम की गयी को विलोपित करने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त विविध वाद संख्या–08/2018–19 से संबंधीत अभिलेख अंचल अधिकारी, अरगोड़ा, राँची द्वारा आवेदक, पंकज कुमार सिन्हा, पिता–मथुरा प्रसाद पता श्रद्धा अपार्टमेन्ट, देवी नगर हटिया से प्राप्त आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है। उक्त आवेदन के आलोक मे अँचलाधिकारी, अरगोडा अँचल ने पत्रांक–41(ii) दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची से वांछित प्रतिवदेन की मॉग किया, जिसके आलोक मे उन्होने पत्रांक–563 (ii) दिनांक 18.02. 2019 प्रतिवेदित किया है कि भू–अर्जन वाद संख्या–16/1941–42 मे	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सैनिक परियोजनान्तर्गत मौजा–. हिनू के खाता संख्या–122, प्लॉट संख्या–1602 एवं 1603; क्रमशः रकबा 0.26 ए० एवं 0.40 ए० भूमि शिड्यूल एवं नक्शा में प्लॉट संख्या–1602 एवं 1603, क्रमशः रकबा 0.26 एवं 0.40 एकड़ सैन्य अधिग्रहित भूमि है। उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अँचलाधिकारी, अरगोडा अँचल ने पंजी ।। में दाखिल–खारिज वाद सं0–3292 आर 27/12–13 के आधार पर दर्ज जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को प्रेषित किया गया ।

विपक्षी सं० 2 को विधिवत नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उनकी ओर से इस अपील वाद की सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अपीलकर्त्ता एवं राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त यह अपील वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित हुआ।

अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्त्ता ने मौजा– हिनू के खाता सं०–122, प्लॉट सं०–1602 एवं प्लॉट सं० 1603 क्रमशः रकबा 14.03 डी० एवं 9.65 डी० भूमि एवं उसमे निर्मित मकान, रॉची नगर निगम वार्ड सं० 53 के अर्न्तगत हाल्डिंग सं० 053000185000ए6 उत्तरवादी सं० 2 द्वारा निष्पादित निबंधित विक्रेय विलेख सं० 8091/7281 दिनांक 25.08.2018 द्वारा क्रय किया है। अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत सम्पत्ति पर पूर्ण हक एवं स्वत्वाधिकार प्राप्त है। अपीलकर्त्ता द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति की जमाबंदी उत्तरवादी सं० 2 के नाम से दा०खा० वाद सं० 3292 आर० 27/2012–13 के आधार पर विधिवत कायम है, परन्तु विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची ने अपीलकर्त्ता को बिना नोटिस जारी किये एवं उन्हे प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये बगैर, उनके नाम से कायम जमाबंदी को रद्द कर दिया, जो नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरित है। अपीलकर्त्ता ने विद्वान निम्न न्यायालय

देश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

के समक्ष उन्हे अवसर प्रदान के निमित उपरोक्त पारित आदेश को प्रत्याह्वान करने का अनुरोध, पर उसमे विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया ।

उभय पक्ष को सुना । अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है मौजा– हिनू के खाता संख्या–122 प्लॉट संख्या–1602 एवं 1603 भूमि पर अपीलकर्त्ता के अलावे कई अन्य मकान अवस्थित है तथा उक्त भूमि की जमाबंदी विभिन्न व्यक्तियों के नाम से कायम है, परन्तु किसी तृतीय पक्ष, जो इस भूमि से कोई सम्बन्ध नही रखते है, उनके आवेदन पर अँचलाधिकारी, अरगोडा अँचल द्वारा मात्र अपीलकर्त्ता की भूमि से संबंधीत जमाबंदी को रद्द करने हेतु कार्रवाई की गई तथा अन्य सभी की जमाबंदी यथावत कायम है, जो उचित प्रतीत नही होता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्त्ता के नाम से जमाबंदी दाखिल खारीज वाद सं0 3292 आर 27/12–13 के आधार पर कायम है एवं उक्त भूमि पर अपीलकर्त्ता को दखल भी प्राप्त है, ऐसी स्थिति मे विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित विहित प्रक्रिया को अपने बगैर विविध वाद संधारित कर जमाबंदी रद्द किया गया है जो विधि सम्मत प्रतित नही होता है। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त भूमि सेना हेतु अधिग्रहित किया गया है, उनके द्वारा सेना को पक्षकार नही बनाया गया है। इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता है कि उपरोक्त भूमि पर अपीलकर्त्ता एवं अन्य खरीदारो का दखल है एवं यदि उपरोक्त भूमि पर सेना को कोई आपत्ति है, तो वे उक्त नामान्तरण आदेश के खिलाफ अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अतः विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। संबंधित पदाधिकारी को चाहिए कि वे प्रस्तुत मामले मे विधि सम्मत उचित कार्रवाई करे।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थिति के आधार पर यह अपील वाद स्वीकृत किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा

अनुसूची 14. – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	विविध वाद (जमाबंदी रद्द) सं० 08/2018–19/टी०आर० सं० 66/2018–19 मे दिनांक 06.09.2019 को निरस्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉची लेखपित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:50:51 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d